

प्रपत्र संख्या एसएच-13

नामांकन प्रपत्र

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में]

सेवा में

कम्पनी का नाम:.....

कम्पनी का पता:.....

मैं/हम ..... उन प्रतिभूतियों के धारक, क जिनका विवरण यहां निम्नानुसार दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन करने के इच्छुक हैं और एतद्वारा इन्हें नामित करते हैं, जिनमें मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार विहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का ब्यौरा (जिनके संबंध में नामांकन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों के प्रकृति	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	
				से	तक

(2) नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण —

नाम		जन्म-तिथि	DD/MM/YYYY
पिता/माता/ पति या पत्नी का नाम		व्यवसाय	
पता		राष्ट्रीयता	
पिन कोड			
प्रतिभूति धारक के साथ संबंध		फोन नं.	
ई-मेल आईडी		मोबाइल नं.	
नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर		आईटी पैन/अन्य	

(3) नामित व्यक्ति के अवयस्क होने की स्थिति में—

नाम		जन्म-तिथि	DD/MM/YYYY
अभिभावक का नाम:		वयस्क होने की तारीख	DD/MM/YYYY
अभिभावक का पता		अवयस्क के साथ संबंध	

प्रतिभूति धारक (धारकों) का नाम	हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	

साक्षी	हस्ताक्षर
नाम:	
पता:	

स्थान:

दिनांक:

**कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इस नामांकन प्रपत्र को दो प्रतियों में भरें:**

1. नामांकन केवल एकल या संयुक्त रूप से शेयरों को धारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। गैर-वैयक्तिक, जिनमें सोसायटी, ट्रस्ट, कॉरपोरेट निकाय, सहभागी फर्म, हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता और अटर्नी अधिकार धारक नामित नहीं कर सकते।
2. नामित व्यक्ति कोई सोसायटी, ट्रस्ट, कॉरपोरेट निकाय, सहभागी फर्म, हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता और अटर्नी अधिकार धारक नहीं होगा।
3. शेयरधारक किसी अल्पवयस्क को नामित नहीं कर सकता (सकते) और उस स्थिति में अभिभावक का नाम और पता प्रदान किया जाएगा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, यदि शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किए जाते हैं, तो संयुक्त धारक मिलकर एक व्यक्ति को नामित कर सकते जिसमें, सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में, कम्पनी के शेयरों के संबंध में सभी अधिकार विहित होंगे।
5. यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हैं, तो किसी भी धारक की मृत्यु के बाद, धारकों को उस नामित के पक्ष में पंजीकृत नहीं किया जाएगा लेकिन जीवित शेयरधारकों के नाम स्थानांतरित किया जाएगा।
6. नामांकन प्रपत्र को 'दो प्रतियों में' भरकर कम्पनी के पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता अर्थात् मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, इकाई: पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पता: एफ 65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली - 110020, फोन नं. 011-41406149 के पास जमा कराया जाना चाहिए। नामांकन को पंजीकृत करने के बाद नामांकन प्रपत्र की एक प्रति पंजीयक द्वारा शेयरधारक को लौटा दी जाएगी। आवंटित पंजीकरण संख्या उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी।
7. शेयरधारक (शेयरधारकों) द्वारा प्रपत्र संख्या एसएच-14 (नामांकन प्रपत्र का रद्दकरण या परिवर्तन) का कार्यान्वयन करके पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।
8. जब कभी भी दिए गए फोलियो में शामिल शेयरों का हस्तांतरण/अभौतिकरण किया जाता है, नामांकन रद्द हो जाएगा। साथ ही, रद्दकरण/हस्तांतरण की वजह से फोलियो में किसी परिवर्तन की स्थिति में नया नामांकन भरना होगा।
9. यदि शेयरों के धारक (धारकों) द्वारा किया गया नामांकन शेयरों के पंजीकृत धारक (धारकों) की मृत्यु से पूर्व कम्पनी में पंजीकृत कर दिया जाता है, तो प्रपत्र एसएच-13 के माध्यम से किया गया नामांकन वैध माना जाएगा।
10. कृपया नोट करें कि एक कानूनी दस्तावेज होने के नाते नामांकन पर नामांकनकर्ता द्वारा तारीख दर्ज होनी चाहिए और साक्षी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि नामांकनकर्ता ने उनकी उपस्थिति में प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, नामांकन प्रपत्र के कार्यान्वयन की तारीख का मिलान दस्तावेज के साक्षी की तारीख के साथ होना चाहिए।
11. नामित व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र (जैसे पैन/पासपोर्ट) की प्रति अपेक्षित है।

**केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए**

नामांकन पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तारीख	कर्मचारी के हस्ताक्षर कोड नं. सहित